भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 193

21.07.2025 को उत्तर के लिए

ग्रीन क्रेडिट योजना

193. श्री परषोत्तमभाई रुपाला :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रीन क्रेडिट संबंधी किसी विशेष योजना की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सतत कृषि के साथ-साथ बागवानी को भी पात्रता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात राज्य में अब तक संस्वीकृत परियोजनाओं और इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं ताकि स्वैच्छिक पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित किया जा सके और परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए जा सकें। शुरुआत में, वन विभागों के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत अवक्रमित भूमि पर स्वैच्छिक वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन की परिकल्पना की गई है। मंत्रालय ने वृक्षारोपण के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए कार्यप्रणाली हेतु 22 फरवरी 2024 को अधिसूचना प्रकाशित की।

अधिसूचना के अनुसार, वन विभागों के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत अवक्रमित भूमि पर वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना की जानी है। जीसीपी का उद्देश्य संस्थाओं को वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना के माध्यम से हरित ऋण उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य वन विभाग संस्थाओं द्वारा चयनित भूमि पर

वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना का कार्य करेगा। दो वर्षों की अवधि के भीतर वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना पूरी होने पर हरित ऋण उत्पन्न किए जाएँगे।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत, 17 राज्य वन विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में भाग ले रहे हैं, तथा उन्होंने 57,986 हेक्टेयर अवक्रमित भूमि का पंजीकरण किया है, जिसमें से 1811 हेक्टेयर अवक्रमित भूमि गुजरात में पंजीकृत की गई है।

*****